

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
(सामान्य अनुभाग)

फा.सं.4-2/2025-सामान्य/एसएफसी-231

दिनांक: 26 NOV 2025

विषय: स्थायी वित्त समिति की 231वीं बैठक के एजेंडा नोट के संबंध में।

दिनांक 04.11.2025 के समसंख्यक परिपत्र के क्रम में सभी केन्द्र प्रमुखगणों/विभागों/अनुभागों/एककों आदि के अध्यक्षगणों से अनुरोध है कि वे अपने एजेंडा नोट/प्रस्ताव (यदि कोई हो तो) निदेशक महोदय (एम्स) से विधिवत अनुमोदन सहित निम्न यूआरएल "<https://www.aiims.edu/images/pdf/notice/generalsect-12-5-17.pdf>" में उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में दोनों हार्ड तथा सॉफ्ट कॉपी (.docx प्रारूप में aiimsgeneral@gmail.com) में दिनांक 06.12.2025 को अथवा उसके पहले जमा करें। इसके अलावा पावर पॉइंट प्रजेंटेशन (.pptx प्रारूप) की अधिकतम 4 स्लाइड्स भी साथ में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2. जहां तक प्रस्तावों का संबंध है जैसे पदों का सृजन, वस्तुओं/सामग्री की खरीद आदि से संबंधित प्रस्तावों को वित्त प्रभाग की टिप्पणियों को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करने के पश्चात ही संबंधित नोडल विभागों द्वारा अग्रेषित किया जाना चाहिए तथा इस प्रक्रिया हेतु निदेशक महोदय एम्स की स्वीकृति प्राप्त होना अनिवार्य है।

पवन

(पवन कुमार)

प्रशासनिक अधिकारी (विधि/सामान्य)

वितरण:

1. मानक वितरण सूची के अनुसार
2. प्रभारी-आचार्य (कंप्यूटर सुविधा) इस परिपत्र को एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित

प्रतिलिपि:

1. निदेशक महोदय/संकायाध्यक्ष/अपर निदेशक प्रशासन /वरिष्ठ वित्त सलाहकार/चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षण अभियंता/उप-सचिव/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के प्रधान निजी सचिव

८४